सं.1/2(40)/2022-पी&पीडब्ल्यू(ई)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरा तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली,
दिनांक: 06 अप्रैल, 2022

सेवा में,

पेंशन संवितरण बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
पेंशन संवितरण बैंकों के सीपीपीसी

विषयः **पेंशन बकाया संदाय (नामनिर्देशन) नियम, 1983 के अधीन जीवन-काल बकायों के संदाय के लिए पेंशनभोगियों द्वारा नामनिर्देशन।**

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 31.03.2022 के समसंख्यक पत्र के क्रम में, अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 28.03.2014 की अधिसूचना संख्या जीएसआर-235 की प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है जिसमें पेंशनभोगी द्वारा जीवन-काल बकायों के नामनिर्देशन के लिए प्रपत्र 'क' निर्धारित किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष के साथ-साथ बैंक को नामनिर्देशन जमा करने के लिए इस प्रपत्र का उपयोग किया जाएगा। अतः, बैंक को नामनिर्देशन/उपांतरण जमा करने के लिए 28.03.2014 से पूर्व प्रयोग किया जा रहा प्रपत्र-'ख', अब अस्तित्व में नहीं है।

2. इस विभाग में संदर्भ/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें उल्लेख किया गया है कि मृतक पेंशनभोगियों की पेंशन प्रायः वेतन आयोग आदि की सिफारिश के आधार पर संशोधित नहीं की जाती है और पेंशन संवितरण बैंक द्वारा मृतक पेंशनभोगी की बाबत पेंशन के बकायों का संदाय नामनिर्देशिती को नहीं किया जाता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे सभी पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी, जो 01.01.2016 को जीवित थे, की बाबत संशोधित पेंशन संदाय प्राधिकार जारी किया जाना अपेक्षित है और ऐसे पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी, जिनकी मृत्यु 01.01.2016 के पश्चात् हुई है, के परिवारों को जीवन-काल बकायों का संदाय करना अपेक्षित है।

3. मृतक पेंशनभोगी, जिसके मामले में; पेंशन संवितरण प्राधिकारी/बैंक के पास वैध नामनिर्देशन मौजूद है के संबंध में बकायों का भुगतान। इस संबंध में, नई योजना पुस्तिका (5वां संस्करण, जुलाई 2021) के पैरा 21.5.1 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जो निम्नवत पुनः प्रस्तुत है:-

21.5.1- <u>ऐसे मामले जहां वैध नामनिर्देशन अस्तित्व में है:</u>

सीपीपीसी पीपीओ के संवितरणकर्ता भाग में पेंशनभोगी की मृत्यु की तारीख दर्ज करेगा और इस जानकारी को उपयुक्त ऑडिट ट्रेल के साथ अपने डेटाबेस पर और अनुबंध-IXके रूप में उनके सॉफ्टवेयर में बनाए गए रजिस्टर में रखेगा। पीएएचबी द्वारा पेंशनभोगी की मृत्यु की तारीख की प्रविष्टि पेंशनभोगी के आधे भाग में की जाएगी। यदि कुटुंब पेंशन उसी पीपीओ द्वारा अधिकृत है, तो पीपीओ के पेंशनभोगी का आधा भाग नामनिर्देशिती को वापस किया जाएगा; अन्यथा इसे सीपीपीसी द्वारा संवितरणकर्ता के आधे भाग के साथ सीपीएओ को वापस

कर दिया जाएगा। सीपीएओ अपने रिकॉर्ड को अद्यतित करेगा और अपने रिकॉर्ड में आवश्यक नोट रखने के बाद पीपीओ के दोनों हिस्सों को पीएओ/एजी को प्रेषित करेगा, जिन्होंने इस कार्रवाई और रिकॉर्ड के लिए पीपीओ जारी किया था। नामनिर्देशिती को बकायों के संदाय के लिए, बकायों की अवधि दर्शाते हुए पेंशनभोगी के पीपीओ के आधे भाग के साथ पीएएचबी में आवेदन करने को कहा जाएगा। पीएएचबी, इस तथ्य कि संदाय वास्तव में मृतक पेंशनभोगी को देय है, और नामनिर्देशन में दिए गए नामनिर्देशिती के विवरण की पुष्टि करने के बाद, दावेदार के खाते में जमा करके संदाय करने के लिए पीपीओ के पेंशनभोगियों के भाग के साथ सीपीपीसी को सूचित करेगा। इस नियम के उपबंध उन मामलों पर यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होगा जहां कुटुंब पेंशनभोगी की मृत्यु, उसके पुनर्विवाह/विवाह या पेंशनभोगी द्वारा नियमों में निर्धारित अधिकतम आयु प्राप्त करने पर कुटुंब पेंशन का संदाय बंद हो जाता है।

21.5.2- <u>ऐसे मामले जहां वैध नामनिर्देशन अस्तित्व में नहीं है</u>:-

पेंशनभोगी द्वारा कोई नामनिर्देशन न किए जाने पर, उसकी पेंशन के बकायों का संदाय भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, नई दिल्ली के दिनांक 10.07.2013 के कार्यालय ज्ञापन सं.1/22/2012-पी&पीडब्ल्यू(ई) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है।

4 उपरोक्त निर्देश सभी संबंधितों द्वारा सख्ती से अनुपालन के लिए व्यापक रूप से परिचालित किए जाएं।

5. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(संजय शंकर)
उप सचिव, भारत सरकार
फोन-24635979

प्रतिः-

1. सभी मंत्रालय/विभाग
2. सीजीए/सीपीएओ
3. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक/महालेखापरीक्षक
4. एनआईसी को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए

14. S .O. 1529, dated 6.6. 2009

15. S .O. 2689, dated 03.10. 2010

16. S.O. 3091, 25th September, dated 2012.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2014

सा.का.नि. 235(अ).—राष्ट्रपति, पेंशन अधिनियम, 1871 (1871 का 23) की धारा 15 और संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्ष करने के पष्चात् पेंशन बकाया संदाय (नाम निर्देशन) नियम, 1983 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पेंशन बकाया संदाय (नाम निर्देशन) संशोधन नियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पेंशन बकाया संदाय (नाम निर्देशन) नियम, 1983 में,—

(क) नियम 5 में,—

(i) उपनियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(5) किसी पेंशनभोगी द्वारा उसके नाम निर्देशन का उपांतरण करने के मामलों में, जिसके अंतर्गत वे मामले भी हैं, जहां नाम निर्देशिती की पेंशनभोगी से पूर्व मृत्यु हो जाती है तो पेंशन संवितरण प्राधिकारी को प्ररूप 'क' में तीन प्रतियों में एक नया नाम निर्देशन उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट रीति में प्रस्तुत किया जाएगा और तत्पश्चात् उपनियम (2) के उपबंध उपांतरणों, यदि कोई हों, सहित यथावश्यक परिवर्तन सहित जैसा कि उपनियम (1) के अधीन किए गए थे, लागू होंगे ।";

(ii) उपनियम (6) का लोप किया जाएगा ;

(ख) नियम 8 में, "गृह मंत्रालय (कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)" शब्दों के स्थान पर, "कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग) " शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) प्ररूप क के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"प्ररूप क

(पेंशन बकाया और पेंशन संराशीकरण के लिए सामान्य नाम निर्देशन प्ररूप)

[पेंशन बकाया संदाय (नाम निर्देशन) नियम, 1983 का नियम 5 और केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियम, 1981 का नियम 7 देखें]

नाम निर्देशिती का नाम, जन्म तारीख (जन्म तारीख) और पता	कर्मचारी/पेंशनभोगी से नातेदारी	प्रत्येक को संदत्त किया जाने वाला भाग	यदि नाम निर्देशिती अवयस्क है तो उस व्यक्ति का नाम और जन्म तारीख, जो अवयस्क के निमित्त रकम प्राप्त कर सकेगा	स्तंभ (1) के अधीन नाम निर्देशिती की कर्मचारी/पेंशनभोगी से पूर्व मृत्यु की दशा में वैकल्पिक नाम निर्देशिती का नाम, जन्म तारीख और पता	कर्मचारी/पेंशनभोगी से नातेदारी	उस व्यक्ति का नाम, जन्म तारीख और पता, जो स्तंभ (5) में वैकल्पिक नाम निर्देशिती के अवयस्क होने की दशा में रकम प्राप्त कर सकेगा	वह आकस्मिकता, जिसके घटित होने पर नाम निर्देशन अविधिमान्य हो जाएगा
1	2	3	4	5	6	7	8

यह नाम निर्देशन पूर्व में मेरे द्वारा किए गए किन्हीं नाम निर्देशनों को अधिक्रान्त करेंगे ।

स्थान और तारीख :

सरकारी सेवक के हस्ताक्षर

टेलीफोन नं0

टिप्पण 1 - उन फायदों को पूरी तरह काट दें जिसके लिए नाम निर्देशन आशयित नहीं है । पूर्वोक्त फायदा (i) और (ii) के लिए विभिन्न व्यक्तियों को नाम निर्देशित किए जाने के लिए इस नाम निर्देशन प्ररूप की पृथक् प्रतियों का उपयोग किया जा सकेगा ।

टिप्पण 2 - सरकारी सेवक अंतिम प्रविष्टि के नीचे खाली स्थान पर तिरछी रेखाएं खींचेगा ताकि उसके हस्ताक्षर करने के पश्चात् किसी नाम को अंतःस्थापित करने से निवारित किया जा सके । नाम निर्देशिती/वैकल्पिक नाम निर्देशिती के भाग मिलकर संपूर्ण रकम को कवर करेंगे ।

मैं ..... नीचे वर्णित व्यक्ति/व्यक्तियों को नाम निर्दिष्ट करता हूं और उस/उन पर मेरी मृत्यु की दशा में नीचे विनिर्दिष्ट सीमा तक निम्नलिखित के लेखे रकम प्राप्त करने का अधिकार प्रदत्त करता हूं : --

(i) पेंशन का बकाया ;

(ii) केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियम, 1981 के अधीन संदेय पेंशन का संराशीकृत मूल्य

(कार्यालय अध्यक्ष/प्राधिकृत राजपत्रित अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

निम्नलिखित नियमों के अधीन श्री/श्रीमती/कुमारी ..... पदनाम..... कार्यालय..... द्वारा किए गए नाम निर्देशन, तारीख ....., प्राप्त किए,-

1. पेंशन बकाया संदाय (नाम निर्देशन) नियम, 1983

2. केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियम, 1981

(अप्राप्त नाम निर्देशन को काट दें)

सेवा पंजिका के पृष्ठ ..... खंड ..... पर नाम निर्देशन (नाम निर्देशनों) की प्राप्ति की प्रविष्टि कर ली गई है ।

कार्यालय अध्यक्ष/प्राधिकृत राजपत्रित अधिकारी का नाम, हस्ताक्षर और पदनाम

प्राप्ति की तारीख .....

प्राप्त करने वाला अधिकारी, पूर्वोक्त सूचना को भरेगा और सम्यक् रूप से पूर्ण प्ररूप की एक हस्ताक्षरित प्रति सरकारी सेवक को लौटाएगा जो उसे सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा ताकि वह उसकी मृत्यु की दशा में फायदाग्राहियों के कब्जे में आ सके ।

प्राप्त करने वाला अधिकारी अपने तारीख सहित हस्ताक्षर, इस प्ररुप के दोनों पृष्ठों पर करेगा।"

(घ) प्ररूप ख का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. 1/12(iii)/2013-पी एंड पी डब्ल्यू (ई)]

वंदना षर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पण -- मूल नियम का0आ0 3478, तारीख 10 सितंबर, 1983 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

1. का0आ0 789, तारीख 17/03/1984

2. का0आ0 4351, तारीख 15/12/1984

3. का0आ0 73, तारीख 11/01/1986

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2014

G.S.R. 235(E).—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Pensions Act, 1871 (23 of 1871) and clause (5) of article 148 of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor General of India in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983, namely:-

1. (1) These rules may be called the Payment of Arrears of Pension (Nomination) Amendment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983,–

(a) in rule 5,–

(i) for sub-rule (5), the following shall be substituted, namely –

"(5) In cases where a pensioner wants to modify his/her nomination, including cases where a nominee predeceases the pensioner, a fresh nomination shall be submitted in triplicate in Form 'A' to the Pension Disbursing Authority in the manner specified in sub-rule (1) and thereafter the provisions of sub-rule (2) shall apply mutatis mutandis with modifications as if it was made under sub-rule (1).";

(ii) sub-rule (6), shall be omitted;

(b) in rule 8, for the words "Ministry of Home Affairs (Department of Personnel and Administrative Reforms", the words "Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Pension & Pensioners' Welfare)" shall be substituted;

(c) for Form A, the following shall be substituted, namely:–

"Form A

(Common Nomination Form for Arrears of Pension and Commutation of Pension)

[See Rule 5 of Payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983 and Rule 7 of Central Civil Services (Commutation of Pension) Rules, 1981]

I, ..., hereby nominate the person/persons mentioned below and confer on him/her/them the right to receive in the event of my death, to the extent specified below, amount on account of the following:-

(i) Arrears of Pension

(ii) Commuted Value of Pension payable under Central Civil Services (Commutation of Pension) Rules, 1981

Name, date of birth (DOB) and address of the nominee	Relation-ship with employee/ pensioner	Share to be paid to each	If nominee is minor, name, DOB and address of person who may receive the amount on behalf of minor	Name, DOB and address of alternate nominee in case the nominee under Column (1) predeceases the employee/ pensioner	Relationship with empl-oyee/ pensi-oner	Name, DOB and address of person who may receive the amount if alternate nominee in Col. (5) is a minor	Contingency on happening of which nomination shall become invalid
1	2	3	4	5	6	7	8

These nominations supersede any nominations made by me earlier.

Place and date:

Signature of Government servant/Pensioner

Telephone No.

Note 1 : Completely strike out the benefit for which nomination is not intended to be made. Separate copies of this nomination Form may be used for nominating different persons for benefits (i) and (ii) above.

Note 2 : The Government servant shall draw lines across the blank space below the last entry to prevent the insertion of any name after he/she has signed. The nominee(s)/alternate nominee(s)' shares together should cover the whole amount.

(To be filled in by the Head of Office/ authorised Gazetted Officer)

Received the nominations, dated ……., under the following Rules:-

1. Payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983
2. Central Civil Services (Commutation of Pension) Rules, 1981

made by Shri/Smt./Kumari.....

Designation.....

Office

(Strike out which nomination is not received)

Entry of receipt of nomination(s) has been made in page ……Volume…….of Service Book.

Name, Signature and Designation of Head of Office/authorised Gazetted Officer with seal

Date of receipt.....

The receiving Officer will fill the above information and return a duly signed copy of the complete Form to the Government servant who should keep it in safe custody so that it may come into the possession of the beneficiaries in the event of his/her death.

The receiving officer shall put his/her dated signature on both pages of this Form."

(d) Form B shall be omitted.

[F.No.1/12(iii)/2013-P&PW (E)]

VANDANA SHARMA, Jt. Secy.

Note.– The principal rules were published vide number S.O.3478, dated the 10th September, 1983 and were subsequently amended vide following Notifications of Department of Pension and Pensioners Welfare, namely:–

1. S.O. 789, dated the 17th March, 1984
2. S.O. 4351, dated the 15th December, 1984
3. S.O. 73, dated the 11th January, 1986

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2014

सा.का.नि. 236(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक और अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्ष करने के पष्चात केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियम, 1981 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) संशोधन नियम, 2014 है ।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियम, 1981 में,-

   (क) नियम 7 के उपनियम (1) में, " प्ररूप 5" शब्द और अंक के स्थान पर, |"पेंशन बकाया संदाय (नाम निर्देशन) नियम, 1983 का प्ररूप क" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

   (ख) प्ररूप 5 का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. 1/12(iv)/2013-पी एंड पी डब्ल्यू (इ)]

वंदना शर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पण - केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियम, 1981 का0आ0 1134, तारीख 11 अप्रैल, 1981 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं0 34/1/81-पेंशन एकक, तारीख 8 जुलाई, 1983 द्वारा संशोधित किए

संख्या 1/22/2012–पी.एंड पी.डब्ल्यू (ई)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरी तल, लोकनायक भवन,
खान मार्किट, नई दिल्ली,
दिनांकः 10 जुलाई, 2013

कार्यालय ज्ञापन

विषयः (i) ऐसे मामलों में पेंशन की बकाया राशि का भुगतान, जहां पेंशन बकाया संदाय (नाम निर्देशन) नियम, 1983 के तहत वैध नामांकन नहीं किया गया है।
(ii) पारिवारिक पेंशन की बकाया राशि भुगतान के संबंध में।

पेंशन बकाया संदाय (नाम निर्देशन) नियम, 1983 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसके अनुसार पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद पेंशनभोगी को देय पेंशन की सभी बकाया राशि का भुगतान मृत पेंशनभोगी के नामिती को किया जाएगा। पेंशनभोगी द्वारा नामांकन नहीं किए जाने की स्थिति में उसकी पेंशन का भुगतान, वित मंत्रालय के दिनांक 11.10.1983 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1(3)–ई.वी/83 के अनुलग्नक के भाग क के पैरा 4 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार वैध वारिस को किया जाता है। हालांकि कुछ पेंशनभोगियों के आश्रितों ने वैध उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाई व्यक्त की है और प्रतिवेदन दिया है कि उन मामलों में वैध उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया जाए, जहां देय धनराशि कम है।

2. वित मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 04.06.1985 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा मामले की जांच की गई और यह निर्णय किया गया कि यदि पेंशन बकाया का भुगतान (नामांकन) नियमावली, 1983 के तहत वैध नामांकन मौजूद नहीं है और पेंशनभोगी का आश्रित व्यक्ति वैध उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ है, और यदि कुल बकाया राशि 25,000/–रू0 से अधिक नहीं है, तो दावेदार द्वारा पेंशनभोगी से संबंध और उत्तराधिकारी संबंधी दस्तावेजी सबूत के आधार पर मृत पेंशनभोगी को देय पेंशन के बकाया के भुगतान की स्वीकृति दी जा सकती है। ऐसे मामलों में, यदि कुल धनराशि 5000/–रू0 से अधिक नहीं होती और मामले की कोई अलग विशेषता नहीं होती, तो लेखा अधिकारी को भुगतान करने का अधिकार प्राप्त था।

3. सरकार ने मामले पर आगे विचार किया और व्यय विभाग के दिनांक 4.6.85 के कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित सीमाओं को 5000/–रू0 और 25,000/–रू0 से बढ़ाकर क्रमशः 50,000/–रूपये और 2,50,000/–रूपये करने का निर्णय लिया है। व्यय विभाग के दिनांक 22.10.1983 और 04.06.1985 के कार्यालय ज्ञापनों में उल्लिखित भुगतान की शर्तें और प्रक्रिया बची रहेगी, जिनका नीचे पुनः उल्लेख किया जा रहा है।

4. पेंशन वितरण अधिकारी (पीडीए), दावेदार का पेंशनभोगी के साथ संबंध और उत्तराधिकार के दस्तावेजी सबूत के साथ आवेदन प्राप्त करेंगे। यदि दावेदार पारिवारिक पेंशन प्राप्तकर्ता है, तो पेंशन वितरण अधिकारी उसके पास मौजूद पेंशन अदायगी आदेश (पीपीओ) और पेंशनभोगी के पास मौजूद पीपीओ से दावेदार की पहचान की पुष्टि करेंगे और इस पुष्टि का प्रमाणपत्र जारी करेंगे। पेंशन वितरण अधिकारी आवेदनकर्ता से प्राप्त दस्तावेजों को विधिवत सत्यापित करेंगे और उन्हें आवेदन के साथ लेखा अधिकारी को अग्रषित करेंगे। लेखा अधिकारी, पीडीए से पेंशनभोगी के पीपीओ की एक प्रति और अन्य दस्तावेजों के साथ आवेदन प्राप्त होने पर, बकाया राशि की गणना करेंगे और यदि मामला असामान्य नहीं है और धनराशि 50,000/–रू0 से अधिक नहीं है तो वितरण अधिकारी को बकाया पेंशन के भुगतान का आवश्यक प्राधिकार जारी करेंगे। यदि धनराशि, 50,000रू0 से अधिक है, किंतु 2,50,000 से कम है तो लेखा अधिकारी, विभागाध्यक्ष या प्रशासक या भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के संबंध में भारतीय महालेखा परीक्षक (सीएजी) या विभागाध्यक्ष के रूप में घोषित उस विभाग

के किसी अन्य अधिकारी से आदेश प्राप्त करेंगे। फॉर्म टी.आर.14/जी.ए.आर.26 में विधिवत स्टैम्प लगे क्षतिपूर्ति बंधपत्र, जिसके साथ नीचे पैरा 7 में उल्लिखित यथावश्यक जमानत संलग्न हों, प्रस्तुत करने पर धनराशि का भुगतान किया जाएगा। किसी प्रकार का संदेह होने और 2,50,000रू0 से अधिक धनराशि होने के मामलों में केवल वेध प्राधिकार प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों को ही भुगतान करने के लिए अधिकृत किया जाएगा।

5. इस विभाग के दिनांक 30.10.1995 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 43/4/95–पी.एंड पी.डब्ल्यू (जी) में निहित है कि पारिवारिक पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर, पारिवारिक पेंशन के बकाया प्राप्त करने का अधिकार परिवार के अगले क्रम वाले पात्र सदस्य को मिल जाएगा। बकाया राशि के भुगतान के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की जरूरत केवल तभी पड़ती है, जब पारिवारिक पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद परिवार में कोई भी सदस्य पारिवारिक पेंशन पाने का पात्र नहीं है। इसलिए, यह निर्णय लिया गया है कि जहां परिवार का कोई भी सदस्य पारिवारिक पेंशन पाने का पात्र नहीं है, वहां भी इस कार्यालय ज्ञापन के उपबंध लागू होंगे।

6. यहां विभागाध्यक्ष का अर्थ, सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 के नियम 2 (xvi) में परिभाषित विभागाध्यक्ष से अभिप्रेत है। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि नागरिकों को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, यह निर्णय लिया गया है कि फील्ड कार्यालयों में, प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग, यदि जरूरी समझे तो उपसचिव/निदेशक स्तर के कार्यालयाध्यक्षों को, विभागाध्यक्ष की शक्तियां प्रत्यायोजित कर सकते हैं। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पूर्व के ऐसे सभी मामले इसी कार्यालय ज्ञापन के अधीन होंगे।

7. सामान्यतः दो जमानतें होनी चाहिए, और दोनों वित्तीय स्थायित्व वाली हों। तथापि, यदि दावा राशि 75,000/–रू0 से कम है, तो भारत के राष्ट्रपति की ओर से क्षतिपूर्ति बंधपत्र स्वीकार करने वाले अधिकारी प्रत्येक मामले के गुण–दोष के आधार पर यह निर्णय लें कि दो की बजाय एक ही जमानत ली जाए अथवा नहीं। क्षतिपूर्ति बंधपत्र प्रस्तुत करने वाला और जमानती दोनों ही व्यस्क होने चाहिए ताकि बंधपत्र वैध हो। बंधपत्र, संविधान के अनुच्छेद 299 (1) के तहत विधिवत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा राष्ट्रपति की ओर से स्वीकार किए जाएंगे।

8. ऐसे मामलों में ये आदेश लागू नहीं होंगे, जहां पेंशन बकाया संदाय (नाम निर्देशन) नियम, 1983 के तहत वैध नामांकन किया गया हो। ऐसे मामलों में नामिती/नामितियों को बकाया राशि का भुगतान करने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा।

9. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के संबंध में, ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए जाएंगे।

10. यह कार्यालय ज्ञापन वित मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 28 जून, 2013 के आई डी नोट संख्या 568/ई.वी/2013 और महालेखा नियंत्रक कार्यालय के दिनांक 13.02.2013 के आई डी संख्या 1(7)/टीए–III/2011–12/विविध/116 की सहमति से जारी किया जाता है।

सु. चौधुरी

(सुजाशा चौधुरी)
उपसचिव, भारत सरकार
दूरभाषः 24635979

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय
लेखा महानियंत्रक का कार्यालय, लोक नायक भवन, नई दिल्ली
इस विभाग में उपलब्ध डाकपता–सूची के अनुसार सभी पेंशनभोगी–संघ।